चित्रकूट-पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित "मिशन शक्ति अभियान-5"

"मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 24.11.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के निर्देशन में थाना रैपुरा पुलिस टीम द्वारा महात्मा ज्योतिबा रावफुले इण्टर कॉलेज रामनगर थाना क्षेत्र रैपुरा में यातायात जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ को यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सावधानियाँ अपनाने के संबंध में विस्तृत रूप से जागरूक किया गया। वक्ताओं द्वारा वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, नशे की हालत में ड्राइविंग से बचने तथा सड़क पर निर्धारित गति सीमा का पालन करने जैसी आवश्यक बातें बताई गईं। प्रभारी द्वारा उपस्थित विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने और अपने परिवार व समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति व साइबर क्राइम/फ्रॉड्स आदि के बारे में भी सभी छात्र एवं छात्राओं/विद्यालय स्टाफ को जागरूक किया गया तथा शासन एवं प्रशासन की महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आवश्यक एवं आपातकालीन हेल्पलाइंस के बारे में भी अवगत कराया गया।

(3). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री नरेन्द्र यादव व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त लवलेश निषाद पुत्र रामनाथ निषाद उम्र करीब 50 वर्ष निवासी बरगदी पुरवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 अदद देशी पाउच शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री नरेन्द्र यादव

2.आरक्षी शुभम मिश्रा

(4). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के निर्देशन में ऑपरेशन बचपन के क्रम में आज दिनाँक 24.11.2025 बालश्रम अधिकारी कर्वी श्री महेन्द्र शुक्ला तथा श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना एचटीयू मय हमराह आरक्षी त्रिभुवन सिंह द्वारा थाना क्षेत्र कोतवाली कर्वी,थाना क्षेत्र भरतकूप एवं चौकी क्षेत्र शिवरामपुर के विभिन्न स्थानों के आस-पास होटलों,दुकानों,ढ़ाबा एवं खाद्यानों की चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान होटलों में हो रहे बालश्रम की चेकिंग की गयी तथा पम्पलेट्स वितरित कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930, वूमेन पावर लाइन नंबर 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान घुमंतू परिवार के लोगों को यह भी हिदायत दी कि बच्चों से बाल श्रम व भीख ना मंगवाए स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें।